समाचार-प्रकाषनार्थ:-

गंदगी करने पर 16 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 31 जनवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के व भन्न स्थानों पर स्था पत सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पु लस कन्ट्रोल रूम पर 3 पा लयों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार महू रोड बस स्टैण्ड पर गंदगी करने पर संत कुमारए अनिलए उज्जवल पर 100.100ए संगीताए रिजवानए जा करए राजूए बबलूए रमेशए पंकजए हरिओमए दिलीपए संजयए प्रहलादए अनिल व रमेश पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संब धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

शहर से निकलने वाले कचरे का जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर होगा प्रतिदिन वजन

वजन कये जाने हेतु 2 कर्मचारी नियुक्त

रतलाम 31 जनवरी । शहर से प्रतिदिन निकलने वाले कचरे के वजन की गणना हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर 2 कर्मचारियों को नियुक्त कया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार नियुक्त कर्मचारी कमल-दिनेश टांक व देवेन्द्र मांगीलाल पृथक-पृथक पाली में कचरा संग्रहण वाहनए डम्परए टेªक्टर ट्रॉली से आने वाले कचरे का वाहन सहित वजन करेंगे तथा कचरा खाली करने के बाद

खाली वाहन का वजन करेंगे जिससे शहर से प्रतिदिन निकलने वाले कचरे की गणना होगी।

मार्निंग स्टार स्कूल के पास आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर
नागरिकों ने 10ए43ए000६. संपत्तिकर व 2ए51ए805६. जलकर जमा कराया

रतलाम 31 जनवरी । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000६. व जलकर 6ए000६.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000६. व जलकर 55ए775६.ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विािर में संपत्तिकर 2ए38ए000६. व जलकर 49ए010६.ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000६. व जलकर 43ए670६.ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000६. व जलकर 29ए280६.ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000६. व जलकर 19ए850६.ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६. व जलकर 48ए220६. की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेेें 10ए43ए000६. संपत्तिकर व 2ए51ए805६. जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लये 01 फरवरी को मार्निग स्टार स्कूलए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लये 2 से 3 फरवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामनेए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लये 4 फरवरी को प्रयदर्षनी नगरए वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लये 5 से 6 फरवरी तक को डोंगरे नगरए वार्ड क्रमांक 46ए 47 व 48 के लये 8 फरवरी को हाट रोड माताजी का मंदिरए वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लये 09 फरवरी को कलीमी कालोनीए वार्ड क्रमांक 18 के लये 3 से 10 फरवरी को राजेन्द्र नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 31 जनवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु नगर निगम वकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटोए राशन कार्डए मतदाता परिचय पत्रए आधार कार्डए समग्र आई.डी.ए निःशक्त प्रमाण-पत्रए मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 31 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 31 जनवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल

नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना
रतलाम 31 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिशठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/31ण्01ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.